



2026:AHC:17198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45972 सन् 2025

हौसिला

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: सुधांशु पांडेय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका में याचीगण द्वारा माँगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-3, उप-खंड अधिकारी, सदर, गोरखपुर को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 101 वर्ष 2025 (हौसिला बनाम कलेक्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य), उ.प्र. भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के अंतर्गत, नियत अवधि के भीतर निर्णीत करें।
3. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, प्रस्तुत रिट याचिका इस अंतिम निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या-3, उप-खंड अधिकारी, सदर, गोरखपुर, याचीगण द्वारा दायर उपरोक्त वाद को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, शीघ्रता से निर्णीत करें, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।